Ve. [illegible] 19.4.2017
[illegible] Complaince [illegible]
[illegible]

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 2 (2)ग्रावि/अनु.:8/2014

जयपुर, दिनांक 17-04-2017.

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की अध्यक्षता में दि0 16.2.2017 को इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में जिला प्रमुखों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में निम्नानुसार निर्णय कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये गये, जिसमें सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी जिला प्रमुखों का स्वागत किया। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों के दायित्व एवं शक्तियों तथा ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की समीक्षा की गयी।

1. संयुक्त सचिव आयोजना द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की मूल अवधारणा एवं पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों/कार्मिकों को अब तक दिये गये प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण (GPDP) निश्चित समयावधि में बनाने हेतु आग्रह किया गया।
2. संयुक्त निदेशक (मॉ0) द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों के दायित्व एवं शक्तियों के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी।
3. <u>जिला प्रमुखगण द्वारा निम्न सुझाव एवं समस्याओं से अवगत कराया:–</u>

- जिला प्रमुख बीकानेर
    - जिलों में कार्यरत अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के अधिकार समाप्त कर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रदान कर दिये गये है, जो कि गलत है।
    - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों के कार्यों की हमें कोई जानकारी नही दी जाती है।
- जिला प्रमुख जैसलमेर
    - अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है, उसे भरा जावें।
    - स्वास्थ्य विभाग में ए.एन.एम. के काफी पद रिक्त चल रहे है, उन्हें भी भरा जावें।
    - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों के कार्यों की हमें कोई जानकारी नही दी जाती है।

- जिला प्रमुख उदयपुर
  - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों के कार्य में जिला प्रमुख की क्या भूमिका है, स्पष्ट करावें।
- जिला प्रमुख बूंदी
  - ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण (GPDP) के प्रशिक्षण मद में राशि उपलब्ध करायी जावें।
- जिला प्रमुख झालावाड़
  - माड़ा योजना हेतु जिले को राशि उपलब्ध करायी जावे।
  - सामुदायिक केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक की जावे।
- जिला प्रमुख प्रतापगढ़
  - महात्मा गांधी नरेगा में निजी लाभ के कार्यो को ज्यादा बढावा दिया जावे।
- जिला प्रमुख सीकर
  - ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाओं में पूर्ण निर्मित कार्यो के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से जारी करवाये जावे।
  - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों के निर्देश वेबसाईट पर अपडेट करावे।
  - जिले में मुख्यमंत्री जल स्वाबलम्बन अभियान के कार्य अच्छे हो रहे है, एवं महानरेगा में निर्मित कार्यो की गुणवत्ता ठीक नही है। अतः इस ओर ध्यान दिया जावे।
- जिला प्रमुख टोंक
  - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों के अधिकारी आदेशों की पालना नही करतें है।
- जिला प्रमुख डूंगरपुर
  - गांव में बिना पट्टों के शमशान घाट की चारदीवारी योजनाओं में स्वीकृत नही की जाती है। क्योकि शमशान घाट गांवों में नदी नालों के किनारे, चरागाह या वनभूमि में है।
  - कुओं को गहरे करने की स्वीकृति दिलवायी जावे।
  - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में जिलें में 90 ग्राम पंचायतें ओ.डी.एफ. हो चुकी है। राशि के अभाव के कारण कार्य की गति धीमी है, अतः राशि उपलब्ध करावे।
- जिला प्रमुख राजसमन्द
  - जिले में हैडपैम्प मिस्त्री बहुत कम है, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करायी जावें।
  - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों के दायित्व एवं शक्तियों के स्पष्ट आदेश जारी करावे।

- जिला प्रमुख पाली
  - योजनाओं में खेल मैदान की चारदीवारी की स्वीकृति दिलवायी जाये।
  - जनता जल योजना की कियान्विति जिलें में सही नही हो रही है, अतः इसे सही करवायी जावें।
- जिला प्रमुख जोधपुर
  - बाड़मेर जिले में खेल का मैदान अच्छा बनाया गया है, अतः सभी जिलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया की उस खेल के मैदान का मुआयना किया जावें।
  - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित 5 विभागों के कार्यो में आपसी समन्वय नही।
  - टी.एफ. सी. एवं एस.एफ.सी. चतुर्थ जो कि योजनाऐं बन्द हो चुकी है, उनके कार्यो के जिले में उपयोगिता प्रमाण पत्र काफी बकाया चल रहे है।
  - निर्बन्ध राशि योजना में उपलब्ध राशि का अभी तक व्यय नही।
  - नवसृजित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के भवन निर्माण की कई स्वीकृतियां अभी तक जारी नहीं।
- जिला प्रमुख धौलपुर
  - पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों की कोई भी बैठक आयोजित नहीं।
  - वॉटर शेड के कार्यो का ग्राम पंचायत/सरपंच को पता नहीं।
  - गांवों में पानी की टंकी बनवायी जावे।
  - ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्रों में 40% तक विद्युत कनेक्शन नहीं।
  - माननीय मंत्री महोदय ने सभी प्रमुखगणों से आग्रह किया कि आप भी जिला प्रमुख धौलपुर की तर्ज पर आदर्श गांव के रूप में एक–एक गांव गोद लेवें।
- जिला प्रमुख भीलवाड़ा
  - आबादी भूमि पर बने मकानों का डोर टू डोर नक्शा बनबाया जावें।
  - जिला परिषद/पंचायत समिति में कार्यरत कार्मिकों के पद बढ़ाये जावें।
  - जिला डार्क जोन में होने के कारण कुओं को गहरा करवाया जावें।
- जिला प्रमुख जालोर
  - जिला प्रमुख ने माग की है कि 8–10 हजार की आबादी वाले गावों में स्ट्रीट लाईट लगाई जावें।
  - भूमि रूपातंरण (आबादी भूमि में) का अधिकार ग्राम पंचायत को दिलवाया जावें।
- जिला प्रमुख भरतपुर
  - जिला प्रमुख द्वारा मांग की गई कि पांचों विभागों के एक–एक अधिकारी जिला परिषद कार्यालय में बैठे तथा पहाडी पंचायत समिति में अधिकारियों एवं अध्यापको की स्थाई नियुक्ति की जावें।

- जिला प्रमुख कोटा
  - अधिकारियों द्वारा पत्रावलियो का अवलोकन नही करवाया जाता है अतः पत्रावलिया उनके माध्यम से भिजवाई जावें।
  - अधिकारियो द्वारा कर्मचारियों का डेपूटेशन अपने स्तर पर ही कर लिया जाता है उनके संज्ञान में नही लाया जाता।
- जिला प्रमुख चुरू
  - गांवों में गौरव पथ के तहत सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर में बनायी जाये।
  - सरकारी भवनों की मरम्मत राशि रूपये 50 हजार से 5.00 लाख की जावें।
  - खेतों की सुरक्षा हेतु तारों से बाड़बंदी करवायी जावे।
  - जन प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने की मांग की गई जिसमें जिला प्रमुख की रूपये 30 हजार एवं प्रधान की रूपये 15 हजार की जावें।
- जिला प्रमुख बारां
  - जिले में हैण्डपम्प मिस्त्रियों लगाने की मांग की गई।
  - साथ ही हैण्डपम्प मिस्त्रियों को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु गांवों में जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाने की मांग।
  - जिले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य स्थान पर करवाने की मांग की गई।
- जिला प्रमुख जयपुर
  - जिला प्रमुखों को पूरे माह हेतु वाहन उपलब्ध करवाये जाये।
  - ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को ग्राम सेवक के अधीन किया जावें।
  - प्राकृतिक आपदा में निजी आय से व्यय करने की जिला प्रमुख की शक्ति एक लाख से एक करोड़ किया जाये।
  - कोरम का मुद्दा उठाया जिसमें सदस्यों को लगातार तीन बैठकों में नहीं आने पर निष्कासन की कार्यवाही नहीं की जावें।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा जिला प्रमुखगणों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर निम्नानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया:–

- ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने भवनों का विनियमितिकरण एवं निःशुल्क/रियायती दर पर पट्टों के आवंटन की प्रकिया का सरलीकरण कर शीघ्र ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे और आगामी वर्ष में 20 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा जायेगा।
- राजस्थान की पंचायत आधुनिक हो, इसलिए स्मार्ट विलेज का कन्सेप्ट लागू किया जा रहा है जिसका प्रस्तुतिकरण अभी विभाग द्वारा किया गया है। उसी के अनुरूप ग्राम पंचायत एक्शन प्लान बनाकर ग्राम पंचायत में कार्य करवायेगी।

- सभी जिला प्रमुखगण मुख्यमंत्री जल स्वाबलम्बन अभियान के प्रथम चरण में कियान्वित कार्यों का सत्यापित नोट जरूर बनाकर भेजे एवं अभियान के द्वितीय चरण के कार्यों में रूचि लें।
- मुख्यमंत्री जल स्वाबलम्बन अभियान के प्रथम चरण में जो वृक्षारोपण का कार्य हुआ है, उसको वन विभाग में हस्तांतरण करवायें।
- विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर सभी अटल सेवा केन्द्रों पर विद्युत कनेक्शन जारी करावें।
- विभाग सभी जिला प्रमुखों को पूरे माह हेतु वाहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाये।
- **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अपनी अपनी योजनाओं से ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के स्पष्ट आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया।**
- सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने अपने कार्यों का एक्शन प्लान बनावें।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये:–

1. राज्य के समस्त जिला प्रमुखों द्वारा दिये गये सुझावों को विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यक्तिशः उनसे वार्ता कर लागू करने संबंधी कार्यवाही करायेंगे।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिला प्रमुखों को सभी योजनाओं की प्रगति की सूचना उपलब्ध करायेगें तथा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते समय जिला प्रमुखगण भी साथ रहेगें, जिससे कि जिला प्रमुख को योजना की प्रगति की जानकारी को एवं उसे बढाने में सहयोग लिया जा सके।
3. मुख्यालय से भेजे जाने वाले समस्त पत्रों की प्रति जिला प्रमुख को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आगामी 15 दिवस में सभी योजनाओं की प्रगति की गहनता से समीक्षा करेगें, जिसमें कम व्यय के कारण एवं यूसी/सीसी समय पर समायोजन नहीं होने के करणों को देखेगें एवं जो कार्मिक राजकार्य में लापरवाही कर रहे है उनके खिलाफ कार्यवाही करेगे। यह भी सुनिश्चित करेगें कि सभी योजनाओं में उपलब्ध राशि का दिनांक 31.3.2017 तक 80 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करेगें।
5. अटल सेवा केन्द्रों में जहां पर बिजली–पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां 15 दिवस में यह सुविधाऐं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना में 4 लाख वृक्षारोपण किया गया है। इन समस्त वृक्षों को वन विभाग को हस्तान्तरित किया जाये तथा यदि 4 लाख में से वृक्ष मर गये है तो उनका पुनः पौधारोपण करवाकर वन विभाग को हस्तान्तरण किया जायेगा।

7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विचार–विमर्श करें तथा यह देखें कि पंचायतीराज एक्ट में किन–किन प्रावधानों में परिवर्तन की आवश्यकता है, उनके सुझाव मुख्यालय को भेजे जाए।
8. राज्य मुख्यालय एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा इस बात पर सुझाव दिये जाए कि विभाग को हस्तान्तरित 5 विभाग किस प्रकार से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी को रिपोर्ट करे तथा उनका किस प्रकार से सबसे बेहत्तर तरीके से उपयोग किया जा सके व उनके कार्य का समन्वय किया जा सके।
9. ग्राम पंचायतवार परिसम्पत्ति का एटलस तैयार कराया जाए और जिन परिसम्मपत्तियों की मरम्मत किया जाना आवश्यक हो उनकी मरम्मत की जाए व जिन ग्राम पंचायतो की परिसम्पत्ति से आय अर्जित की जा सकती है उनकी पहचान की जाए।
10. विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है। इनके रख–रखाव, बिजली, पानी की व्यवस्था तथा उनकी देख–भाल के लिए एक कमेटी, ग्राम स्तर पर बनायी जाए और यह प्रयास किये जाएँ कि इनके उपयोग के बदले न्यूनतम शुल्क लिया जाए जिससे कि सामुदायिक भवनों का रख–रखाव बेहत्तर तरीके से हो सके।
11. मॉडल विलेज पर प्रस्तुतीकरण दिया गया है जिसमें मॉडल विलेज का कन्सेप्ट बताया गया है। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आशा है कि वे इस संबंध में सुझाव शासन सचिव, ग्रामीण विकास को भेजेगें।
12. आवास योजना में लाभार्थी को सीधे ही राशि उपलब्ध करायें तथा पूर्व में स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराये तथा वर्ष 2016–17 में लक्ष्य अनुरूप स्वीकृतियॉ जारी कर आवासों का निर्माण कराया जाए।
13. कार्यो की स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा समय सीमा निर्धारित की हुई है, इसका विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय–सीमा में कार्य स्वीकृत किये जाए।
14. कुछ मामलों में ध्यान में आया है कि एक कार्य एक से अधिक योजनाओं में स्वीकृत किये जा रहे है, इससे राजकीय धन का दुरूपयोग होता है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत किये जाने वाले कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना में स्वीकृत नहीं हुए हों।
15. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण का प्रावधान है, लेकिन जिलों द्वारा अभी तक थर्ड पार्टी निरीक्षण पैनल नहीं बनाया है एवं न ही निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षकों की नियुक्ति व निरीक्षण कार्य शीघ्र कराये जाऐ।
16. जिलों द्वारा विभिन्न योजनाओं में नवाचार किया जा रहा है। ऐसे नवाचारों की जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए जिससे कि उनको अन्य जिलों में लागू कराये जा सके।

17. कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के कार्यो की पुनः समीक्षा करें। उनके कार्य का सुपरवीजन रखा जाए।
18. विधान सभा शीघ्र प्रारम्भ होने जा रही है। अतः विधान सभा सत्र में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत किये जाऐ।
19. जिलों में जहां पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्मिक एक ही पद पर कार्यरत है उनका स्थानान्तरण किया जाए तथा सरप्लस कार्मिकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए।
20. विभिन्न योजनाओं में सफाई का कार्य कराया जा रहा है। इसके संबंध में बीएसआर शीघ्र तैयार करवाकर जारी करायी जाए।
21. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेन्स करें तथा विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी सामान्यजन को पहूँचायें।

शासन सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा विभाग में संचालित सभी योजनाओं की प्रगति एवं गतिविधियों की समीक्षा की जिसमें निम्न निर्देश प्रदान कियेः–

- सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को हाईकोर्ट के लम्बित अवमानना प्रकरणों का जवाब शीघ्र बनाकर प्रस्तुत करने को कहा गया।
- मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी जिलों से ग्राम पंचायतवार 3 साल के आय–व्यय की सूचना जिन जिलों ने नहीं भिजवायी है, उन्हें शीघ्र भिजवाने हेतु निर्देशित किया।
- सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आंगनबाड़ी भवन एवं किसान सेवा केन्द्र के अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।
- सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नवसृजित ग्राम पंचायत भवन व पंचायत समिति भवन निर्माण की सभी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर कार्य शीघ्र आरंभ करवाये जाने हेतु निर्देशित किया।

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

- ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में प्रगति गत माह दिसम्बर 2016 में 30 प्रतिशत रही थी जो कि बढकर माह जनवरी 2017 में 54 प्रतिशत हो गयी है। इस माह की प्रगति संतोषजनक है लेकिन कुछ योजनाओं मे यथा– डांग, स्वविवेक व मेवात में प्रगति 40 प्रतिशत से भी कम है। अतः सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन योजनाओं पर विशेष ध्यान देवें जिससे कि प्रगति सुधारी जा सके।

- पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुरूप सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी फरवरी 2017 तक 65 प्रतिशत एंव मार्च 2017 तक 80 प्रतिशत प्रगति हासिल किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
- प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में आवंटित लक्ष्य के अनुसार समस्त जिले स्वीकृतियॉ जारी करना सुनिश्चित करेंगे एवं इन्दिरा आवास एवं मुख्यमंत्री बीपीएल योजना में अधुरे आवास 31.3.2017 तक पूर्ण कराएगें।

(सी.एल.वर्मा)
परि.निदे. एवं उप सचिव
(मो एवं मू)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. जिला प्रमुख, जिला परिषद, समस्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित कर अनुरोध है कि बैठक कार्यवाही विवरण में आपके विभाग/अनुभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें:–

1 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
3 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, चौपाल, रेल्वे स्टेशन, जयपुर।
4 संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
5 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास।
6 परि. निदे. एवं उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा/एसएपी।/।।/मो. एवं मू.।
7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8 अधीक्षण अभियन्ता, आवास, ग्रा.वि.विभाग।
9 संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग।
10 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग।

परि.निदे. एवं उप सचिव (मो एवं मू)